

प्रेषक,

नुसरत खान,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या—9, इलाहाबाद।

सेवा में,

आदरणीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा—

आदरणीय जनपद न्यायाधीश,
इलाहाबाद।

विषय—

परिपत्र संख्या—25 / एडमिन (ए) दिनांकित—13 जुलाई 1998, इलाहाबाद के
अनुपालन में आवासीय भूमि (अचल सम्पत्ति) क्रय करने की अनुमति के सम्बन्ध
में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र के अनुपालन में आवासीय भूमि
(अचल सम्पत्ति) क्रय करने की अनुमति के सम्बन्ध में आवेदन निर्धारित प्रारूप पर सादर प्रेषित
है।

सादर।

भवदीय

Nusrat Khan

(नुसरत खान)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या—9, इलाहाबाद।

दिनांक—14.04.2021

प्रेषक,

नुसरत खान,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-9, इलाहाबाद।

सेवा में,

आदरणीय महानिवन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा—

आदरणीय जनपद न्यायाधीश,
इलाहाबाद।

विषय—

परिपत्र संख्या-25 / एडमिन (ए) दिनांकित-13 जुलाई 1998, इलाहाबाद के
अनुपालन में आवासीय भूमि (अचल सम्पत्ति) क्य करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान् अवगत कराना है कि आराजी गाटा संख्या-144 मि0 का जुज भाग, आवासीय भूमि प्लाट रकबा 503.98 वर्गमीटर यानि 602.77 वर्ग गज, स्थित आलमपुर सुबकरा माफी (रियाज कालोनी), परगना व तहसील कोल, जनपद अलीगढ़, जिसकी अद्यतन सर्किल रेट के अनुसार मालियत मु0-18,64726/- (अटारह लाख चौंसठ हजार सात सौ छब्बीस) रुपये है, को मु0-18,50,000/- (अट्ठारह लाख पचास हजार) रुपये में अप्रैल 2021, तक क्य करने हेतु प्रार्थी का मौखिक करार विक्रेता श्रीमती कहकशा परवीन पत्नी श्री सुहैल अहमद, निवासी डी/1 कोरानिच होम, सरसैयद नगर अलीगढ़ से हुआ है। प्रार्थी उक्त सम्पत्ति को क्य करना चाहता है। प्रतिफल धनराशि मु0-18,50,000/- (अट्ठारह लाख पचास हजार) रुपये में से मु0-10,00000/- (दस लाख)रुपये अपने धनराशि मु0-18,50,000/- (अट्ठारह लाख पचास हजार) रुपये में से अदा करुंगा तथा मु0-8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार) रुपये प्रार्थी की पत्नी श्रीमती यासमीन अकबर, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय इलाहाबाद के बचत खाता (सेलरी एकाउन्ट) 8715210016663 केनरा बैंक, कटरा शाखा, इलाहाबाद से चेक/NEFT के माध्यम से अदा करुंगा। स्टाम्प ड्यूटी अदा करने में होने वाला व्यय प्रार्थी की पत्नी के खाते से किया जायेगा। प्रार्थी उपरोक्त सर्कुलर के अनुपालन निम्नलिखित सूचना प्रेषित कर रहा है:-

1. सेवा प्रारम्भ करने की तिथि

:- 20.04.2009

2. वर्तमान में कुल वेतन व घर ले जाने वाला वेतन

:- कुल वेतन मु0-1,55,957/- रुपये घर ले जाने वाला वेतन मु0-1,21,948/-

3. रुपये 10,000/- से अधिक चल सम्पत्ति क्य करने का विवरण

:-पूर्व में कोई भी अचल संपत्ति क्य नहीं की गयी है तथा नई कार होण्डा सिटी दिनांक-29.09.2013 को मु0-8,58,750/- रुपये में क्य किया गया, जिसमें मु0-5,60,000/- रुपये का ऋण सिंडीकेट बैंक शाखा जिला पंचायत अलीगढ़ से लिया गया तथा शेष राशि का भुगतान अपने बचत खाता

87152180003530,(सेलरी एकाउन्ट) सिंडीकेट बैंक शाखा अलीगढ़ से किया गया, जिसकी सूचना परिपत्र संख्या-25 / एडमिन (ए) दिनांकित-13 जुलाई 1998, इलाहाबाद के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक-25.10.2013 को को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त कार लोन का पूर्ण भुगतान प्रार्थी द्वारा अदा किया जा चुका है तथा पूर्ण भुगतान के आधार पर बैंक द्वारा लोन खाता दिनांक-01.09.2018 को बन्द किया जा चुका है।

4. क्या माननीय उच्च न्यायालय से कोई ऋण लिया गया

:- नहीं।

5. क्या बैंक से कोई ऋण लिया गया, यदि हो तो
उसका विवरण

:- नहीं।

6. सैकेण्ड हैण्ड वाहन खरीदने के सम्बन्ध में विवरण

:- लागू नहीं

7. सम्पत्ति का विवरण (प्लाट का क्षेत्रफल) लोकल्टी का नाम आदि भवन या प्लाट उसकी माप :-

आराजी गाटा संख्या-144 मि0 का जुज भाग, आवासीय भूमि,प्लाट रकबा, 503.98 वर्गमीटर यानि 602.77 वर्ग गज स्थित आलमपुर सुबकरा माफी, (रियाज कालोनी) परगना व तहसील कोल, जनपद अलीगढ़।

8. डीलर/विकेता का पूरा नाम और पता :— श्रीमती कहकशा परवीन पत्नी श्री सुहैल अहमद निवासी डी 1 कोरगिच होम, सरसैयद नगर, अलीगढ़।
9. क्या डीलर नियमित एवं विख्यात प्राप्त है:— विकेता नियमित विकेता नहीं है।
10. क्या न्यायिक अधिकारी से सम्बन्धित है तथा कोई वाद उससे सम्बन्धित निर्णीत किया गया था या लघित है:— प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी का विकेता से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही विकेता का कोई मुकदमा प्रार्थी अथवा प्रार्थी की पत्नी श्रीमती यासमीन अकबर, अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कक्ष संख्या-5, इलाहाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है।
11. धनराशि के खोत का विवरण:— प्रार्थी उक्त संपत्ति के प्रस्तावित प्रतिफल मु—185000/- रुपये के भुगतान को मु—10,00000/- (दस लाख) रुपये अपने बचत खाता (सेलरी एकाउन्ट) 87152180003530, केनरा बैंक, कटरा शाखा, इलाहाबाद से चेक/NEFT के माध्यम से अदा करेगा तथा मु—8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार) रुपये प्रार्थी की पत्नी श्रीमती यासमीन अकबर, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय इलाहाबाद के बचत खाता (सेलरी एकाउन्ट) 87152010016663 केनरा बैंक, कटरा शाखा, इलाहाबाद, से चेक/NEFT के माध्यम से अदा करेगा तथा स्टाम्प ड्रूटी अदा करने में होने वाला व्यय प्रार्थी की पत्नी के खाते से किया जायेगा। आज की तिथि पर प्रार्थी के सेलरी खाता में मु—11,26,109/- (ग्यारह लाख छब्बीस हजार एक सौ नौ) रुपये तथा प्रार्थी की पत्नी के सेलरी खाते में मु—15,73,570/- (पन्द्रह लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ सत्तर) रुपये बैलेंस उपलब्ध है। प्रार्थी की पत्नी माह मार्च का वेतन अभी प्राप्त होना शेष है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि मुझे उक्त संपत्ति अप्रैल 2021 में क्य करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। अन्यथा प्रार्थी को अत्यधिक क्षति होगी। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

सादर।

दिनांक—14.04.2021

भवदीय
Nusrat Khan

(नुसरत खान)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या—9, इलाहाबाद।

संलग्नक:—

- प्रार्थी के बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति।
- प्रार्थी की पत्नी श्रीमती यासमीन अकबर के बैंक के खाते के पासबुक की छायाप्रति।
- विकेती के पक्ष में हुए बैनामें (दो किता) की छायाप्रति।
- सर्किल रेट की छायाप्रति।
- लोन समाप्ति प्रपत्र/प्रमाणपत्र की छायाप्रति।